# न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.कमांक—637 / 2013 संस्थित दिनांक—10.07.2013 फाई. क.234503003052013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — अभियोज //विक्तद्व //

रामसिंह पिता रातुसिंह, उम्र–59 वर्ष, निवासी जगला, थाना बिरसा जिला बालाघाट

\_ \_ \_ \_ <u>आरोपी</u>

# // <u>निर्णय</u> // (दिनांक 21/11/2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 एवं 506 भाग—दो का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 23.06.2013 की शाम करीब 05:30 बजे ग्राम जगला थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी राधाबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर, धारदार दांतों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत राधाबाई को धारदार दांतों से काटकर एवं हाथ मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी राधाबाई को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राधाबाई ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 23.06.2013 को शाम करीब 5:30 बजे खेत तरफ गई थी तो देखी कि उसके हिस्से की जमीन पर जिस पर वह 20-25 वर्षो से कमा-खा रहे थे, उस पर गांव का रामसिंह धूर्वे जुताई करवा रहा था, तब उसके मना करने पर वह गुस्से में आकर बोला कि बुढिया अब इस जमीन पर उसका हक है और अब वह ही कमाएंगा। फिर उसके मना करने पर उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां बकते हुए उसके बाल पकड़कर मारपीट करने लगा। उसके बीच-बचाव करने पर दाहिने कलाई को दांत से कांट दिया, जिससे वह चिल्लाकर भागी तो उसे बचाने के लिये पंचमसिंह, रौनूसिंह, बसंतराव ने बीच-बचाव किये, तब रामसिंह ने उससे कहा कि इस जमीन को कमाने खाने की बात की तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा-294, 324, 506 भाग-दो भा.द.वि. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार कर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया जाकर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान क्रमांक 79 / 2013 दिनांक

28.06.13 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

## 04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:--

- 1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 23.06.2013 की शाम करीब 05:30 बजे ग्राम जगला थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी राधाबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर धारदार दांतों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत राधाबाई को धारदार दांतों से काटकर एवं हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राधाबाई को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

### —:<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :—

## विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05— साक्षी राधाबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी रामिसंह को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक—देढ़ साल पहले की है। घटना के समय आरोपी रामिसंह उसकी जमीन पर ट्रेक्टर चला रहा था तो उसने जाकर मना की तो आरोपी ने उसे दांत से हाथ में काट दिया था और उसे ढकेल दिया था, जिससे वह गिर गयी थी और उसे चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दी थी। पुलिस ने घटना स्थल का नजरी नक्शा बनायी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। वह हस्ताक्षर के रूप में निशानी अंगूठा लगाती है।
- 06— साक्षी राधाबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को को स्वीकार किया है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि है, इसके

आस—पास चार—छः लोगों के मकान है, उक्त जमीन पर रामिसंह और उसके पिता पूर्व से खेती करते थे, अभी भी रामिसंह उस जमीन पर खेती करता है, इस जमीन की उसके पक्ष में कोई लिखापढ़ी नहीं है, जिस दिनांक को विवाद होना बतायी है, उसी दिनांक को रिपोर्ट करने थाना गई थी, पुलिसवालों ने 6—7 जगह उसका अंगुठा लिये थे, पुलिसवालों ने उसे किस बात का अंगूठा है, नहीं बताये थे, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि डॉक्टर के पास उसे ले गये थे, तब उसके बांये हाथ में पट्टी बांधकर दवाई करवाये थे, खेत में उबड़—खाबड जगह है, जिसमें टकराने से वह गिर गयी थी, जिससे उसे चोट आयी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे आरोपी ने दांत से नहीं काटा था, उसे गिरने से चोट आयी थी, आरोपी से उसका जमीन का विवाद होने के कारण उसने उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी थी।

07— साक्षी बसंत अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह प्रार्थी रमन एवं आहत राधाबाई को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पहले ग्राम जगला काटा में खेत की है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 23.06.2013 को आरोपी रामिसंह ने फिरयादी राधाबाई को दातों से काटकर, हाथ—मुक्कों से मारपीट किया था, घटना दिनांक को आरोपी ने राधाबाई को गंदी—गंदी गालियाँ दिया था, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी, आरोपी ने राधाबाई को जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी—1 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बता दिया था कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा घटना के समय वह उपस्थित नहीं था और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान नहीं दिया था।

08— साक्षी पंचमसिंह अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है, जो उसके गांव के है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 23.06.13 को जब वह आंगन में खड़ा था, तो आरोपी रामसिंह को राधाबाई ने अपनी जमीन जोतने से मना की थी, तभी गुस्से में आकर रामसिंह ने राधाबाई को गंदी—गंदी गालियां देकर एवं बाल पकड़ कर मारपीट किया था, उसके सामने आरोपी ने राधाबाई को दाहिने हाथ में दात से काट दिया था, उसने पुलिस को प्रपी—02 का कथन दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है, इसलिए उसे बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

उपस्थित आरोपी एवं आहत राधाबाई को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 23.06.13 की है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि राधाबाई और आरोपी रामसिंह के बीच में जमीन की जुताई के संबंध में विवाद हुआ था। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी रामसिंह ने राधाबाई को गंदी—गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी दिया था, आहत राधाबाई को हाथ मुक्को से मारपीट कर दाहिने हाथ पर दांतों से काट दिया था, वह, पंचमसिंह और बसंतराव ने बीच—बचाव किये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी—03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 10— साक्षी खुशियालसिंह अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 26.03.13 को वह थाना बिरसा गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी रामसिंह धुर्वे को थाना परिसर में ही गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—04 बनाया था तथा उसने पुलिस को प्रपी—05 का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह हस्ताक्षर की उपयोगिता अच्छे से जानता है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उपयोगिता को जानते हुए उसने गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—04 पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब उसने प्रपी—04 पर हस्ताक्षर किया था, उस समय अरोपी को थाने में नहीं देखा था, जब उसने प्रपी—04 पर हस्ताक्षर कराते समय किस बाबद हस्ताक्षर करा रहे है यह नहीं बताया था।
- 11— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.०६ ने कथन किया है कि वह दिनांक 24.06.13 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक कुंजबिहारी क्रमांक 1225 द्वारा आहत श्रीमती राधाबाई को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने आहत के दाहिनी कलाई के कुछ उपर पीछे के भाग पर एक अर्द्धचंद्राकर 1.5 इंच गुणा 0.2 इंच के दायरे में एक टिशु टियरिंग पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट मानव दांत के काटने से आना प्रतीत होती थी तथा उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोट उसके परीक्षण से 18 घण्टे से ज्यादा परंतु 24 घण्टे के बीच की थी। उक्त चोट को ठीक होने में पांच से सात दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 12- साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.०६ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव

पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पीड़िता ने उसके पास चोट का घरेलू उपचार कराकर आयी थी, उसके समक्ष आहत ने दायी कलाई में चोट दिखायी थी, परंतु उसने आहत के बांये हाथ पर पट्टी बांधकर उसका उपचार किया था तथा आहत को किसी लकड़ी वाली सतह पर गिरने से उक्त चोट आ सकती है।

- साक्षी रवनसिंह उड़के अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह दिनांक 25.06.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 86 / 13 अंतर्गत धारा–294, 324, 506 भाग–दो भा.दं.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम जगला जाकर फरियादी राधाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा मौका-नक्शा पर फरियादी राधाबाई के अंगुठा निशानी है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी राधाबाई, गवाह रवनूसिंह, बसंत, पंचम तथा दिनांक 26.06.2013 को गवाह खुशियालसिंह, शोभाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उसके द्वारा दिनांक 25.06.2013 को आरोपी रामसिंह को गवाह शोभाराम तथा खुशियालसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी रामसिंह के हस्ताक्षर है। प्रकरण में प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया द्वारा दर्ज की गई थी, जिनके हस्ताक्षर से साथ कार्य करने के कारण परिचित है। प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया द्वारा दिनांक 24.06.2013 को फरियादी राधाबाई की मौखिक शिकायत पर आरोपी रामसिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 86 / 13 अंतर्गत धारा–294, 324, 506 भाग-दो भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर है तथा रिपोर्ट पर फरियादी राधाबाई के अंग्ठा निशानी है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तृत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था।
- 14— साक्षी रवनसिंह उइके अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि राजेश सनोडिया प्रधान आरक्षक द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने के लिये फरियादी से मिलकर प्रथम सूचना पत्र झूठा लेखबद्ध किया गया था, प्रथम सूचना पत्र में अंकित कथन फरियादी के बताये अनुसार लेख नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.07 उसने गवाहों के समक्ष तैयार नहीं किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मौका नक्शा प्र.पी.07 उसके द्वारा थाने में बैठकर तैयार किया गया है एवं उस पर फरियादी के झूठे अंगुठा निशानी बनाये गये हैं, फरियादी राधाबाई एवं गवाह रवनूसिंह, बसंत, पंचम, खुशियालसिंह तथा शोभाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर आरोपी को झूठा फंसाने के लिये अपने मन से लेख किये गये थे। यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी.04 झूठा बनाया गया

है, उस पर गिरफ्तारी के पूर्व ही गवाहों के हस्ताक्षर उसके द्वारा करा लिये गये थे, आरोपी के विरूद्ध वह आज झूठे कथन कर रहा है एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना फरियादी राधाबाई के साथ मिलकर झूठी तैयार किया है।

- यद्यपि प्रकरण में परिवादी राधाबाई के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, तथापि साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई महत्वपूर्ण लोप अथवा विरोधाभास नहीं है, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। परिवादी की न्यायालयीन साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 से जमीन विवाद के कारण घटना होना दर्शित है तथा चिकित्सा साक्ष्य से घटना के समय परिवादी की चोटों की पृष्टि होती है। घटना के संबंध में आरंभिक भार अभियोजन पर था, जिसका उसने भलीभांति निर्वहन किया है। तत्पश्चात सबूत का भार अभियुक्त पर चला जाता है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करे, परंतु अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अपने परीक्षण कथन धारा—313 द.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि जमीन विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। यद्यपि परिवादी राधाबाई अ.सा.01 द्वारा जमीन पर आरोपी का आधिपत्य स्वीकार किया गया है, तथापि परिवादी राधाबाई के अनुसार ही विवादित भूमि शासकीय भूमि है। प्रकरण की साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि घटना जमीन विवाद के कारण कारित की गई है, परंतु मिथ्या आलिप्त करने के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विवाद होने पर उसके स्वयं के द्वारा शिकायत की जा सकती थी। प्रकरण में अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने तथा आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रकरण की साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा परिवादी राधाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। अतः अभियुक्त रामसिंह को भा.दं०सं० की धारा–294, 506 भाग-दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा—324 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 16— आरोपी रामसिंह द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

#### पुनश्च-

17— दंड के प्रश्न पर आरोपी रामसिंह के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी रामसिंह का यह प्रथम अपराध है। आरोपी रामसिंह एवं परिवादी एक ही गांव के है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य केवल जमीन का विवाद है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

18— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोषिसिद्धि दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे मात्र अर्थदण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्त रामिसंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000 / —(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

20— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21— अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत् निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

